राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 402/2025

कृष्ण कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. त्रिवेदी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी, ग्रेड–प्रथम के पद पर रेंज जसवन्तपुरा जिला जालौर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण एक वर्ष से भी कम 11 माह की अल्पावधि में ही वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेंज मण्डोर, जोधपुर में किया गया है। विभाग द्वारा अपने कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में दिनांक 20.04.2011 को एक स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गई है जिसके बिन्दु संख्या 1 (1.1) एवं 1 के अनुसार :–

> ''1.1 प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी। अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अ'न्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा।''
>
> किसी भी अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व निम्न परिस्थितियों में ही स्थानान्तरण किया जावेगा :–
> 2.1 पदोन्नति या पदोन्नति होने पर।
> 2.2 कार्य/आचरण बाबत शिकायत प्रथम दृष्टया सही हपाये जाने पर।

2.3 प्रशंसनीय कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप अधिकारी/कार्मिक को प्रातथ्साहित करने के लिये उसके आवेदन पर।
2.4 रिक्त पद भरने के लिए प्रशासनिक आवश्यक्ता उत्पन्न होने पर।
2.5 पद समाप्त हो जाने पर।
2.6 सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम की अवधि शेष रहने पर यदि अधिकारी/कार्मिक द्वारा आवेदन किया जाता है।''

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/ स्थानांतरण अल्पावधि में ही वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेंज मण्डोर, जोधपुर में किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण सम्बन्धी दिशा–निर्देश दिनांक 20.04.2011 के शर्त संख्या 1.1 एवं 2 में दिये गये स्थानान्तरण सम्बन्धी दिशा–निर्देशों के विरूद्ध पारित किया गया है।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–6) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना–पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य